"समझौता ज्ञापन"

(Memorandum of Understanding)

राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, बीकानेर, राजस्थान, भारत गणराज्य

एवं

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान, भारत गणराज्य

के मध्य आपसी सहमति से आज दिनांक 06 जून, 2025 को दोनों संस्थानों के मध्य शैक्षिक, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग के उद्देश्य से तीन वर्षो के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

इस दस्तावेज पर छात्रों, संकाय सदस्यों एवं आम जनमानस के कौशल एवं क्षमता का उन्नयन करते हुए रोज़गार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर पारस्परिक सहमति अनुरूप हस्ताक्षर किये गए है :–

1. **उद्देश्य (Objective):-**
    - योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और पद्धति के क्षेत्र में सहयोग।
    - योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध, संगोष्ठी, कार्यशाला व सम्मेलन, शिविरों आदि का आयोजन।
    - संयुक्त अनुसंधान, परियोजनाओं का विकास, आवश्यक संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध करवाने आदि में सहयोग, नवनिर्माण व आपसी सहमति से विकसित सुविधाओं के रखरखाव हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।
    - पाठ्यक्रम सह–निर्माण, इन्टर्नशिप प्रोग्राम (Internship/Apprenticeship Program), व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों का समावेश एवं पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन।
    - समाज में समग्र स्वास्थ्य एवं जीवनशैली में सुधार को बढावा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का नियोजन करना।

2. **सहयोग का क्षेत्र (Scope of Collaboration):-**

    दोनों पक्ष निम्न क्षेत्रों में सहयोग करने हेतु सहमत है :–

- तकनीकी एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण (Technical and Practical Training)
- अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं एवं शैक्षणिक सहयोग का विकास एवं विस्तार।
- UGC/CCIM/NCISM/NiN AYUSH के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय नियमानुसार पाठ्यक्रम विकसित करना।
- नैदानिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त करना।
- फैक्लटी एक्सचेंज (Faculty Exchange and Development)–नियमित प्रशिक्षण हेतु– योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण, फैक्लटी एक्सचेंज कार्यक्रम, आवश्यक संसाधनों (उपकरणों), नवनिर्माण व नवाचार में आपसी सहयोग प्रदान करना।

3. **प्रमाणन और मूल्यांकन (Certification & Assessment):-**
   - आपसी सहमति से प्रारम्भ किये गए पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने वाले छात्रों को प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
   - मूल्यांकन में दोनो पक्षों की भागीदारी होना। इस हेतु पृथक् से नियमावली बनाई जाएगी।

4. **अवसंरचना साझा करना (Sharing of Infrastructure):-**
   - संस्था की प्रयोगशालाओं, नैदानिक व्यवस्था, हर्बल गार्डन, मेडिटेशन हॉल आदि का उपयोग।
   - विश्वविद्यालय के सभागार, पुस्तकालय, शोध सुविधाओं का साझा उपयोग।

5. **बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं प्रकाशन (IPR and Publication):-**
   - योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित शोध का संयुक्त रूप से पेटेंट कराना एवं एवं इससे संबंधित साहित्यों व पुस्तकओं का प्रकाशन करना।
   - संयुक्त रूप से शोध–पत्र प्रकाशित करना (National/International Journals)

6. वित्तीय व्यवस्था **(Financial System):-**

- ➢ संयुक्त परियोजना हेतु प्राप्त बाह्य फंड का उपयोग, वित्तीय हिस्सेदारी एवं प्रबंधन। इस हेतु पृथक् से शर्ते एवं नियमावली आपसी सहमति से तय की जाएँगी।
- ➢ दोनो पक्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु आर्थिक दृष्टिकोण से पृथक से शर्ते एवं नियमावली तय कर कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

7. गोपनीयता **(Confidentiality):-**

- ➢ कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष से प्राप्त गोपनीय या संवेदनशील जानकारी को बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक नही करेगा।
- ➢ यह शर्त (MOU) की समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेगी।
- ➢ किसी भी विवाद की स्थिति का समाधान आपसी संवाद के रूप में करेंगे।

8. दोनो पक्ष उक्त समझौता ज्ञापन **(MOU)** के समग्र क्रियान्वयन हेतु एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

❖ दोंनो पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, गंगाशहर, बीकानेर	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
हस्ताक्षर (बनवारी लाल शर्मा) मंत्री राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा समिति गंगाशहर (बीकानेर)	हस्ताक्षर अरविन्द बिश्नोई कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर
दिनांकः– 6/5/2025	दिनांकः– 06-5-2025
(डॉ. वत्सला गुप्ता) चिकित्सा अधिकारी राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र गंगाशहर – बीकानेर	Dr. DHARMESH HARWANI Director, IQAC JUNE, 06, 2025